न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 13/2021 निर्णय दिनांक 31.10.2022

गिरधारीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1927/1014 तादादी 0.2600 रोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी के इस भूखण्ड के उतर में चिपाचिप खसरा नम्बर 1013 है, जो अराजीराज सिवायचक है। प्रार्थी की भूमि मौके पर कम है, जिसके बावत् प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 06.01.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी ने मौके पर सीमाज्ञान करवाया और प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1927/1014 की 953 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी के खेत के उत्तर में स्थित 1013 में दबी हुई पाई। प्रार्थी ने भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से मौके पर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया, परन्तु पैमाईश टीम ने मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं करवाई। प्रार्थी ने अप्रार्थी से पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने कहा न्यायालय से आदेश लाओ, तब ही पत्थरगढ़ी होगी। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की 953 वर्गमीटर जमीन खसरा नम्बर 1013 जो अराजीराज है, उसमें दबी हुई, पैमाईश दल ने मानी है। खसरा नम्बर 1013 की खातेदारी अप्रार्थी की ही है, फिर भी अप्रार्थी पत्थरगढ़ी नहीं करवा रहा है। पत्थरगढ़ी नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाज्ञान के रूप में दीवार तारबन्दी नहीं करवा पा रहा है। सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी अपनी जमीन का समुचित उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। यह है कि अप्रार्थी ने दिनांक 19.08.2021 को पत्थरगढ़ी करवाने से इन्कार कर दिया, तब प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 1927/1014 रोही शेरूणा की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 1927/1014 रोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/–रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिशनर प्रार्थीगण द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा शुदा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)